

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 153/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-25.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 25.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना- जीयनपुर: मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक- 22.04.2025 को विपक्षी गोवर्धन यादव पुत्र खरपत्तू निवासी सुखपुरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा विजय पुत्र छत्रधारी निवासी बेलसर जमीन बेलसर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व एक ड्राइवर मन्नान पुत्र खालिक निवासी समुद्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0स0 350/2025 धारा 115(2)/351(2)/352BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5A SC/ST ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 25.04.2025 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोवर्धन यादव पुत्र खरपत्तू निवासी सुखपुर मसोना थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को जमीन मेघई नरैना गाँव मे जाने वाले गेट के पास से नियमानुसार समय 12.45 बजे अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर बरामद किया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स 155/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 2/2020 धारा 304B/498Aभादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 2.मु0अ0स0 236/2024 धारा 323/498A/504/506भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़
- 3.मु0अ0स0 350/2025 धारा 115(2)/351(2)/352BNS व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5A SC/ST ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. मु0अ0स 155/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना बिलरियागंज: चोरी के सामान के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी विशाल मोदनवाल पुत्र राजेन्द्र मोदनवाल ग्राम ककरही दुलार थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र कि दिनांक 22/4/025 को पोलावनगंज स्थित खुद की दुकान से अज्ञात व्यक्ति द्वारा डीजे का ट्यूबर 11 पिस व यूनिट 4 पिस चुरा लेना तथा काफी तलाश के बावजूद समान व चोरो का कुछ पता नहीं लगने के सम्बन्ध में दिया गया जिस पर थाना हाजा पर दिनांक 24.04.25 को मु0अ0सं0 123/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1-अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लवकुश कुमार द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण –

उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पोलावनगंज मे विशाल मोदनवाल के डीजे की दुकान से चोरी गये ट्यूटर व यूनिट को तीन व्यक्ति 1. पवन निषाद पुत्र हरि निषाद निवासी मन्दरेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, 2. दिलीप पुत्र जोगिन्द्र निवासी मन्दरेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 3. अनिल राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ककरही दुलार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गोरिया बाजार से समय करीब 09.10 बजे कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद ट्यूटर 11 पीस व 4 पीस यूनिट को कब्जा पुलिस मे कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग

1.मु0अ0सं0 123/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बी.एन.एस थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. पवन निषाद पुत्र हरि निषाद निवासी मन्दरेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
2. दिलीप पुत्र जोगिन्द्र निवासी मन्दरेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष
3. अनिल राजभर पुत्र राजेश राजभर निवासी ककरही दुलार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

1- मु0अ0सं0 123/25 मे चोरी का डीजे का ट्यूबर 11 पिस व यूनिट 4 पिस बरामद किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



03.थाना कंधरापुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25.04.2025 को उ0नि0 लाल सिंह, उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अयुब पुत्र अनवर ग्राम मखनहा पकडियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र करीब 28 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ मंदुरी तिराहे से तहबरपुर रोड, गदनपुर हिच्छनपट्टी गौशाला से समय 02.20 बजे पकड लिया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 104/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अयुब पुत्र अनवर ग्राम मखनहा पकडियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 104/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंधरापुर ।

बरामदगी-

1. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व 150 रुपये बरामद हुआ।



04.थाना – अतरौलिया: साइबर फ्राड के 66,000/- रुपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 08.10.2024 को आवेदक भानुप्रताप सिंह पुत्र इन्द्र प्रताप सिंह निवासी मंडोही थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के खाते से फिनेंशियल साइबर फ्राड करते हुये कुल 2,00,000 रु/- का साइबर धोखाधड़ी हुई जिसके क्रम मे आवेदक की शिकायत पर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 231122xxxxxxx दर्ज किया गया। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा फ्राड हुये 66,000/- रु0 को होल्ड कर दिया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साइबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश (फंड रिलीज आर्डर) के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी को अवगत कराते हुये आवेदक के होल्ड हुये कुल 66,000 रुपये को वापस करा दिया गया। शेष धनराशि को भी वापस कराये जाने हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ आवेदक भानुप्रताप सिंह के शिकायत सं0 2311224xxxxxxx के प्रा0पत्र/ साईबर कम्पलेन के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में साइबर हेल्पडेस्क टीम के कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा आवेदक के खाते में होल्ड हुई धनराशि कुल 66,000 रुपये को वापस कराया गया है।

पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़



05.थाना कन्धरापुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक हिस्ट्रीशीटर हरिकेश गिरफ्तार ।

दिनांक- 25.04.2025 को उ0नि0 जावेद अख्तर, उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान भँवरनाथ पुलिस बूथ के पास से वांछित अभियुक्त हरिकेश यादव पुत्र स्व0 रामनगीना यादव निवासी देवपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय कम्हेनपुर अण्डरपास के सर्विस रोड पर ही घेर घारकर समय 03.18 बजे सुबह में पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 105/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-हरिकेश यादव पुत्र पुत्र स्व0 रामनगीना यादव (H.S. 35A) साकिन देवपार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्षी

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 105/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर ।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना /जनपद
1	मु0अ0सं0 991/2008	0	सिधारी
2	मु0अ0सं0 220/2013	धारा 394 भादवि	तहबरपुर
3	मु0अ0सं0 751/2013	धारा 307 भादवि	कोतवाली
4	मु0अ0सं0 232/2011	धारा 394/411 भादवि	कोतवाली
5	मु0अ0सं0 6255/2010	धारा 396 भादवि	कन्धरापुर
6	मु0अ0सं0 613/2011	धारा 147/323/379/427/506 भादवि	कन्धरापुर
7	मु0अ0सं0 244/2013	3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट	कन्धरापुर
8	मु0अ0सं0 198/2013	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर
9	मु0अ0सं0 197/2013	धारा 307 भादवि	कन्धरापुर
10	मु0अ0सं0 196/2013	धारा 307/427 भादवि	कन्धरापुर
11	मु0अ0सं0 194/2013	धारा 307 भादवि	कन्धरापुर
12	मु0अ0सं0 136/2017	धारा 406/419/420/504 भादवि	कोतवाली
13	मु0अ0सं0 150/2017	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली
14	मु0अ0सं0 57/2021	411/413/414/419/420/467/468/471/473 भादवि	जीयनपुर
15	मु0अ0सं0 238/2015	धारा 324 भादवि	कोतवाली
16	मु0अ0सं0 306/2022	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर
17	मु0अ0सं0 111/2019	धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम	कन्धरापुर
18	मु0अ0सं0 116/2017	धारा 302/201 भादवि	कोतवाली
19	मु0अ0सं0 283/2017	धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट	कोतवाली
20	मु0अ0सं0 58/2021	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली
21	मु0अ0सं0 156/2016	धारा 302/304 भादवि	कोतवाली
22	मु0अ0सं0 56/2021	धारा 307/34 भादवि	जीयनपुर
23	मु0अ0सं0 187/2021	धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट	जीयनपुर
24	मु0अ0सं0 244/2016	धारा 323/393/427 भादवि	कन्धरापुर
25	मु0अ0सं0 114/2020	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर
26	मु0अ0सं0 137/2017	धारा 302/201/392 भादवि	कोतवाली
27	मु0अ0सं0 376/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर
28	26/25 331(4),305 बी.एन.एस		तहबरपुर
29	214/24 303(2) बीएनएस		तहबरपुर
30	198/24 305,331(4)बीएनएस		तहबरपुर
31	27/25 331(4), 305 बीएनएस		तहबरपुर
32	38/25 331(4),305 बी.एन.एस		निजामाबाद
33	337/24 331(4),305 बी.एन.एस		कन्धरापुर
34	45986 331(4),305 बी.एन.एस		कन्धरापुर
35	334/24 331(4),305 बी.एन.एस		कन्धरापुर
36	346/24 331(4),305 बी.एन.एस		कन्धरापुर
37	354/24 331(4),305, बी.एन.एस		कन्धरापुर

बरामदगी-

1. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जावेद अख्तर थाना कंधरापुर आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह थाना कंधरापुर आजमगढ़ ।
3. व0उ0नि0 रमेश कुमार थाना कंधरापुर आजमगढ़ ।
4. का0 विकास उमाशंकर कन्नौजिया थाना कंधरापुर आजमगढ़ ।
5. का0 आकाश गौड़ थाना कंधरापुर आजमगढ़ ।
6. का0 धीरेन्द्र पासवान थाना कंधरापुर आजमगढ़ ।

